

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक B/4092 /चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 24/07/2021

श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, तत्कालीन Chairman, State Transport Appellate Tribunal, M.P., Gwalior, वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति विभाग से अपने पैतृक विभाग को वापिस प्राप्त होने के फलस्वरूप सुपर समय वेतनमान रुपये 70290-1540-76450/- में उनकी दिनांक 27.05.2021 की काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि निम्न तालिका अनुसार स्वीकृत किया जाता है:-

सुपर समय वेतनमान रुपये 70290-1540-76450/- में प्राप्त वेतन व दिनांक	वेतनवृद्धि का दिनांक	वेतन निर्धारण	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.
74910.00/- 27.05.2020	27.05.2021	76450.00/-	01.05.2021

नोट:- "मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 31.07.2020 के अंतर्गत उक्त न्यायिक अधिकारी की वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी तथा स्थितियों सामान्य होने पर इसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदाय करने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

Sd/-

(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 24/7/2021

B/4093

पृष्ठांकन क्रमांक/चार-12-14/10

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

Sd/-
24.7.2021
रजिस्ट्रार(एम)